

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, फारविसगंज।

ee.forbesganj@gmail.com

पत्रांक १५७४

/फारविसगंज, दिनांक: १५/६/२१

प्रेषक:

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, फारविसगंज।

सेवा में,

M/s Perdeep Kumar
Pakni Pervaatta
Aruna

विषय:

NH ५७ योजनान्तर्गत NH ५७ to Sahu Pola

पथ में पंचवर्षीय रुटीन अनुरक्षण कार्यसात दिनों के अंदर पूरा कराकर पथ को ठीक करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि आपके द्वारा एकरारनामा में अंकित तकनीकी विशिष्टियों के अनुरूप पथ का नाम.....

NH ५७ to Sahu Pola

का प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम वर्ष का रुटीन अनुरक्षण कार्य नहीं कराये जाने के कारण उक्त पथ की स्थिति खराब है, जिसके कारण आवागमन में कठिनाई हो रही है। जो एकरारनामा के अनुरूप नहीं हैं। बार-बार लिखित एवं मौखिक स्मार देने के बावजूद अनुरक्षण कार्य नहीं कराया गया।

अतः निदेश दिया जाता है कि सात दिनों के अंदर उक्त पथ निम्न अनुरक्षण कार्य करा कर इसे ठीक करावें—

1. पथ में पैच –पॉट मरम्मति का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है।
2. Flank/Shoulder/Approach का मरम्मति का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है।
3. पुल/पुलिया की मरम्मति सह रंग–रोगन का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है।
4. साइनबोर्ड की रंगाई–पोताई का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है।

5. Bush cutting.

अतः सात दिनों में अपने संबंधित कनीय अभियंता/सहायक अभियंता के साथ स्थल निरिक्षण करें, एवं Notecam app के द्वारा फोटोग्राफ कार्य प्रमंडल में देना सुनिश्चित करें, आपके निबंधन के SBD के सुसंगत Clause General Conditions of Contract (GCC) के Clause 32 एवं 53.1 तथा SBD के अन्य कंडिकाओं के तहत डिबार करते हुए काली–सूची में डालने हेतु अनुशंसा की जायेगी। साथ ही पथ के रुटीन अनुरक्षण कार्य को विभागीय स्तर से कराकर उसकी वसूली आपके द्वारा समर्पित जमानत की राशि से की जायेगी।

कृपया इसे गंभीरता से लें एवं सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

15/6/21
de

विश्वासगंज
15/6/21

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, फारविसगंज।